न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 03/2023
जी.सी.एम.एस. : 2023/27

अपीलान्ट :–
अशोक कुमार पुत्र मेघाराम उर्फ मेगाराम जाति सीरवी निवासी– आंगणावा बेरा, ग्राम भगवानपुरा, तहसील रानी, जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–
1. तेजा पुत्र मेघाराम उर्फ मेगाराम, जाति सीरवी, निवासी– आंगणावा बेरा, ग्राम भगवानपुरा, तहसील रानी, जिला पाली (राज.)।
2. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार रानी, जिला पाली (राज.)

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–
1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के. चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना सरकारी पैरोकार।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27/06/2025

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार देसूरी हाल तहसीलदार रानी द्वारा स्वीकृत ग्राम भगवानपुरा के नामान्तरकरण संख्या 412 दिनांक 20.01.1983 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मौजा ग्राम भगवानपुरा, तहसील देसूरी हाल तहसील रानी के पुराना खसरा नम्बर 44, 52 व 53 कुल रकबा 85 बीघा 10 बिस्वा की कृषि भूमि खातेदार मुलीया, धनीया, दीपा, पुनीया, घीसीया, सेरीया, रामा, मेगा पिसरान् इन्दा जाति सीरवी, साकिन भगवानपुरा के नाम सह–खातेदारी आई हुई थी। उक्त कृषि भूमि के नये खसरा नम्बर 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 335, 336, 337 व 338 बने है। उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी के स्व. पिता मेगा पुत्र इन्दा राजस्व रेकर्ड अनुसार सह–खातेदार थे, जिसके रहते उनके जीवनकाल में वे अपने हक–हिस्से पर शान्तिपूर्ण काबिज रहकर काश्त करते रहे एवं उनकी मृत्यु के बाद

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 अपने हक–हिस्से मे आई भूमि पर काश्त कर रहे है। उक्त खातेदारी का खातेदारों के बीच मौके पर हुए आपसी बंटवाडे के आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने से हाल खाता संख्या 96, खसरा नम्बर 82, रकबा 3.030 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व जाव अव्वल, खाता संख्या 22, खसरा नम्बर 335 रकबा 0.010 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.070 हैक्टेयर, किस्म गै.मु. सडा एवं खाता संख्या 251, खसरा नम्बर 337 रकबा 0.075 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम व जाव अव्वल अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के एवं अन्य सह–खातेदारों के हक–हिस्से में रही है। अपीलार्थी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार उपरोक्त वर्णित सह–खातेदार कृषि भूमि खाता संख्या 96 में 1/2 वां हक–हिस्सा, खाता संख्या 22 में 1/10 वां हक–हिस्सा व खाता संख्या 251 में 1/16 वां हक–हिस्सा आया हुआ है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 भी इसी अनुसार हक–हिस्से का खातेदार मालिकं निहित है। अपीलार्थी का अपीलाधीन नामानतरकरण के जरिये राजस्व रेकर्ड में नाम गलत इन्द्राज चला आ रहा है। उक्त सम्पूर्ण खातेदारी में अपीलार्थी के स्व. पिता मेघा उर्फ मेगा पुत्र इन्दा की मृत्यु के बाद विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 412 पटवारी हल्का द्वारा भरा गया। अपीलाधीन नामन्तरकरण में अपीलार्थी का नाम अशोक कुमार के स्थान पर ओगड़िया पुत्र मेगा के नाम से जैर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया, जबकि अपीलाण्ट के समस्त दस्तावेजात में उसका नाम अशोक कुमार ही अंकित है। इसलिये जैर अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर, विधिविरूद्ध तरीके से स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाण्ट का वास्तविक एवं सही नाम अशोक कुमार है तथा अपीलाधीन आदेश के द्वारा उनका गलत नाम ओगडिया दर्ज हो गया है। यदि जैर आराजी में अपीलाण्ट का नाम संशोधित किया जाता है तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एंवं अधीनस्थ न्यायालय के मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1983 में दर्ज किया है। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट का दौराने बहस मुंख्य उज्र यह था कि अपीलाण्ट का नाम ओगड़िया पुत्र मेगा न होकर अशोक कुमार पुत्र मेघाराम उर्फ मेगाराम है तथा घर परिवार में उन्हें ओगड़िया के नाम से संबोधित किया जाता है परन्तु अपीलाण्ट के समस्त सरकारी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अशोक कुमार पुत्र मेघाराम उर्फ मेगाराम के नाम से है, साथ ही ग्राम पंचायत, ईटन्दरा चारणान् द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी अशोक कुमार पुत्र मेघाराम उर्फ मेगाराम व ओगड़िया पुत्र मेघाराम उर्फ मेगाराम नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि के अवलोकन से भी यह ज्ञात होता है कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम अशोक कुमार पुत्र मेघाराम उर्फ मेगाराम है।

इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने दिनांक 04.06.2024 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम अशोक कुमार है और यदि जैर नामान्तरकरण में अपीलाण्ट का नाम संशोधित किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट अशोक कुमार पुत्र मेघाराम उर्फ मेगाराम एवं ओगड़िया पुत्र मेघाराम उर्फ मेगाराम एक ही व्यक्ति है। नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी को उस नामान्तरकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सावधानीपूर्वक नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है कि हल्का पटवारी एवं राजस्व कार्मिकों ने ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार देसूरी हाल तहसीलदार रानी द्वारा स्वीकृत ग्राम भगवानपुरा के नामान्तरकरण संख्या 412 दिनांक 20.01.1983 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, तहसीलदार रानी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समूचित सुनवाई का अवसर देते हुए मृतक मेघाराम उर्फ मेगाराम के विधिक वारिसान् एवं दस्तावेजों की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 27/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली